



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 341) पटना, बुधवार, 3 जून 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

3 जून 2020

सं० एम-4-02/2020-2916/वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संहिता बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**-(1) यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2020 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. **बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-349 में संशोधन :-**

(क) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (v) में प्रयुक्त शब्द “तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष” को “पांच क्रमिक वित्तीय वर्ष” से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ख) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (vii) के बाद निम्नलिखित उपनियम (2) (viii) जोड़ा जायेगा :-

“दिनांक 01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी0एल0/पी0डी0 खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी0एल0/पी0डी0 खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पाँच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो जायेगी ।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव(व्यय)

The 3rd June 2020

No.-M-4-02/2020-2916/F.— In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Code to amend the Bihar Treasury code, 2011:-

1. Short title and commencement-(1) This Code may be called The Bihar Treasury (Amendment) Code, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. **Amendment in Rule-349 of the Bihar Treasury Code, 2011-**
 - (A) The words "Three subsequent financial Years" used in subrule 2(v) of Rule 349 under Bihar Treasury Code, 2011 shall be substituted by the Words "Five subsequent financial Years."
 - (B) The following Subrule (2) (viii) shall be added after subrule (2) (vii) of Rule 349 under Bihar Treasury Code, 2011.

"All PL/PD Accounts which will be opened prior to the date 01-04-2019, will be treated to be opened on 01-04-2019 as a default under CFMS system and the unutilized amount lying in PL/PD Account shall be lapsed at the last of Five subsequent financial years."

By the order of the Governor of Bihar,

RAHUL SINGH,
Secretary(Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 341-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>